

MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India



vc@mgaugkp.ac.in @ www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref.....

Date: 24/06/24

सं/ AUVA118 / MGGAU / 2024-2025 / ३६०,

— सम्बद्धता आदेश —

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट .संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि-0-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत मानवांगु गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 वीं धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के द्वारा मैडिकल कालेज बोर्ड-AUVA118 सर्वदेव आयुर्वेदिक मैडिकल कालेज एंड महामृतुजय हास्पीटल, इटीरा, चण्डेश्वर, आजमगढ़ द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन एवं भारतीय विकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के आधार पर मा० कार्य परिवद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाद्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2024-2025 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाद्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	वी० ३० एम० एस०	60 सीट

सम्बद्धता की शर्तें—

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय विकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शर्त-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय विकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुसृत के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिविधियों का अनिवार्य लाभ पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनताशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के साथस्थ में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अस्थायियों एवं विवितगों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बद्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन करेंगे।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय विकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना साप्त पत्र पर समय से प्रतियोर्व विश्वविद्यालय के कूलसंचय को प्रेषित किया जायेगा।

७ २४/६/२४
(आर० बी० सिंह)
कुलसंचय

Scanned with CamScanner

संख्या- ३६० /सं/ AUVA118 / MGGAU / 2024-2025 दिनांक- 24/06/24

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाही हेतु प्रेषित।

- संचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- आयोग, विकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड भारतीय विकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- अपर मुख्य संचिव, श्री राज्यपाल/कृत्याधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अपर मुख्य संचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, आयुषवेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक, आयुषवेदिक (पाद्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- प्रधानाधार्य/संचालक, सर्वदेव आयुषवेदिक मैडिकल कालेज एंड महामृतुजय हास्पीटल, इटीरा, चण्डेश्वर, आजमगढ़।
- निजी संचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

७ २५/६/२४
(आर० बी० सिंह)
कुलसंचय

Scanned with CamScanner